/font>

16.48 hrs.

Title: Consideration and passing of Prevention of insults to National Honour (Amendment) Bill, 2003. (Bill passed)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, on behalf of Shri L.K. Advani, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, be taken into consideration. "

Sir, it is a very short Bill, innocuous Bill but a very important Bill because wherever there were any doubts about the disrespect to be shown to the national symbols, those things have been explained by way of Explanation also and by amendment of the sections incorporated in the original Bill.

16.50 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

Sir, this Bill was introduced on 7th of March this year. Only two amendments are sought to be made. One is that the punishment of the second offence and subsequent offences have been made stricter; not less than one-year punishment has been sought to be prescribed through this Amendment Bill.

Mr. Chairman, Sir, an elaborate explanation has also been added and it will perhaps leave no doubt about the disrespect, if any, to be shown. If at any time any disrespect is shown, the word 'insult' is not sufficient to deal with such disrespect. That is why, this Amendment Bill is brought before this House. So I would request that this Bill may kindly be considered and passed.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, be taken into consideration. "

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : स्वामी साहब ने जो राट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया है, उसका सब तरफ से समर्थन होना चाहिए। हमें इस बात गर्व है कि कि संविधान सभा ने पहली बार 22 जुलाई, 1947 को नेशनल फ्लैग को एडाप्ट किया। उसके बाद देश की जो तमाम प्राप्तियां हुई हैं, इस राट्रीय झंडे के तले कितने ही लिब्रेशन मूवमेंट चलाए गए और कितनी ही उपलब्धियां हमने हासिल कीं। 1962, 1965, 1971 में जो जंग हुईं, इसी झंडे के तले लड़ी गईं। सही मानो में मुंडक उपनिाद में "सत्यमेव जयते " का जो नारा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है।

As they say, truth always triumphs. उसको भी महसूस किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सांग को मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए, यह पहले भी कहा जाता रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि पहली बार 27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल एंथम को गाया गया। ओरिजनली यह बंगाली भााा में रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने लिखा था। जो हमारे देश का नेशनल सांग कहलाता है, वह बंकिम चन्द्र चटर्जी साहब ने संस्कृत में लिखा था। वह भी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। सही मानो में इसकी विरासत कांग्रेस का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उससे जुड़ी हुई है।

मुझे यह कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जो हमे आखिरी युद्ध, कारगिल युद्ध, देखने को मिला। हम सबने दूरदर्शन पर उस जंग को अपनी आंखों से देखा कि कैसे हमारे देश के जवानों की शहादत उस युद्ध में हुई और उनकी लाशें राट्रीय ध्वज में लपेट कर लाई गईं। उस मंजर को देख कर देशवासियों को राट्रीयता की प्रेरणा मिली, वह अपने आप में बहुत महत्व रखती है। मेरे ख्याल से इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, जिनको दूर करना जरूरी है। रविन्द्र नाथ टैगोर जी के नेशनल एंथम जन-गण-मन को प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पक्के तौर पर देश में अपनाया जाए, इसके बारे में स्वामी जी के इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है।

देश में चर्चा होती है कि नेशनल करैक्टर गिर रहा है, देश की मिट्टी के प्रति लोगों की भावना कम होती जा रही है, इसलिए यह उचित होगा अगर हम इस बिल में यह क्लॉज शामिल कर लें कि स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक हम राट्रीय गान को सत्कार और मान देंगे। In explanation 4 (d) under clause 2 (b), it is stated:

> "using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in State funerals or armed forces or other paramilitary forces funerals; â€¦"

इसमें माना गया है कि आम लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रड सेंटर पर 11 सितम्बर को जब हमला हुआ तो वहां 10 दिनों तक सबसे ज्यादा राट्रीय झंडे बिके और लोगों ने वहां पर अपनी कारों पर लगाया और सजाया। सुप्रीमकोर्ट का जो आर्डर आया है कि अपनी गाड़ियों पर, मोटरों पर उन दिनों में जो शहादत से जुड़े दिन हैं या देश की मर्यादा, संस्कृति से जुड़े दिन हैं स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में झंडे को लहराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए और इस बात को भी इसमें शामिल करने की कृपा करें। झंडे में तीन रंग शामिल हैं। जिस रंग के झंडे तले शहीदे आजम भगत सिंह ने इस देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था, उनके बुतों को हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं लगा पाए। मेरे सामने वह कुर्सी है जहां पर शहीदे आजम भगत सिंह ने इस झंडे और देश की मिट्टी को मस्तक से लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ बम फैंका। लेकिन इतने वर्ा बीत जाने के बाद भी हम उनको पूर्ण रूप से सत्कार नहीं दे पाये हैं, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आजकल देश में धर्म का झंडा ज्यादा प्रधान होता जा रहा है। चाहे हिंदू हो,

मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, तरह-तरह के जो संप्रदाय हैं वे राट्रीय झंडे को पीछे रखकर अपने सैक्ट के झंडे को बढ़ावा देने लगे हैं। यह प्रवृत्ति इस देश के लिए अच्छी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इसके बारे में भी कदम उठाएगी।

यह बात ठीक है कि झंडे के झोले, कुर्ते-कमीज, पायजामे बनने लगे तो उसको रोकने के लिए जो क्लॉज लगाई गयी है मैं उसकी सराहना और समर्थन करता हूं। साथ ही साथ जो राट्रीय स्मारक और स्टेचूज के ऊपर झंडे न लगें, उससे उनका सत्कार कम होता है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

17.00 hrs.

अगर महात्मा गांधी जी, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, श्री सुभाा चंद बोस या जो महान लोग हमारे राट्रीय नायक हुए हैं, जब हम उनके दिनों को मनाते हैं, अगर उन पर वे झंडे लगा दिये जाएं तो सही मायनों में इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी मूल भावना के साथ इस बिल को लाया गया है। लेकिन अगर इसके स्टेटमैन्ट और ऑब्जैक्ट्स में हमें मंत्री जी यह बताने का कट करते कि नेशनल फ्लैग और कांस्टीट्यूशन की कब-कब और किन-किन मौकों पर इंसल्ट की गई है, हमारे राट्रीय ध्वज और नेशनल एन्थम की बेहुरमती की गई है तो इससे हमें कुछ और जानकारी मिलती कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ ही मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मेरे ख्याल से अपने जवाब में स्वामी जी इसमें जो कुछ एड करने की जरूरत है, उसे शामिल करने का कट करेंगे।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा राट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करते हुए पूर्ण समर्थन करता हूं। निश्चित ही यह आज हम सबके सोचने के लिए कुछ प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी हैं कि राट्रीय ध्वज, राट्रगीत, राट्रगान और अपने राट्रीय गौरव के प्रतीक महापुरुषों का जो अपमान होता है, उसके लिए भी हमें विधयक लाना पड़ रहा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार की परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, कुछ इस प्रकार के तत्व देश के अंदर सक्रिय हुए हैं, जिन्होंने समय-समय पर राट्रीय ध्वज, राट्रगीत, राट्रगान का अपमान करने की परम्परा प्रारम्भ की है। जिस राट्रीय गीत और राट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए, उसकी आन-बान और शान की रक्षा के लिए अनगिनत शीश झुक पड़ते थे, अनगिनत शीश फांसी के फंदों पर झूलने के लिए तैयार हो जाते थे, आज उस राट्रीय ध्वज, राट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति जिस प्रकार के प्रश्नचिह्न लगाने की परम्परा कुछ क्षेत्रो में कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई है, यह एक शुभ-लक्षण नहीं है और किसी भी सम्प्रभुता सम्पन्न राट्र के लिए यह सोचना आवश्यक है कि उसकी पहचान उसके राट्रीय ध्वज से होती है, उसके राट्रगीत से होती है, उसके राट्रगान से होती है और उसके राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक उन महापुरुषों से होती है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, उसके निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज हम सबके सामने यह प्रश्न है कि किसी राट्रीय परिचय के सामने किसी व्यक्ति का, किसी महापुरुा का, किसी पंथ का परिचय महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, राट्रीय परिचय महत्वपूर्ण है। उस राष्ट्र की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है। राट्र की सम्प्रभुता, उसकी एकता और अखंडता का प्रतीक देश का राट्रीय ध्वज हो सकता है, उस देश का राट्रगीत और राष्ट्रगान हो सकता है और उसके वे महापुरुा हो सकते हैं जिन्होंने उस देश की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता और उसकी सम्प्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।

सभापति महोदय, कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो देश में इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर रही हैं। मुझे इस संबंध में कविवर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां याद आती हैं, जिनमें उन्होंने कहा था -

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं, राट्रीय गौरव के संबंध में दो बातें उसमें हैं - एक राट्रीय ध्वज के बारे में हैं और दूसरा राट्रीय गान के बारे में लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि राट्रीय गान के साथ साथ इसमें राट्रीय गीत को भी शामिल किया जाए क्योंकि राष्ट्रीय गीत भी इस देश की, भारत माता की परंपरा को आगे ले चलने का गीत है। वह गीत है वन्दे मातरम्। जिस वन्दे मातरम् को गाते-गाते अनगिनत देशभक्त फांसी के फंदे पर हंसते-हंसते झूल जाते थे, उस राट्रीय गीत का भी अपमान कुछ क्षेत्रों में होता है। अभी दो वर्ा पहले आजमगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए बिगड़ा था क्योंकि वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिद् अपने कार्यक्रम की शुरूआत वंदेमातरम् से करना चाहती थी, लेकिन एक वर्ग उसको पसंद नहीं करता था। आज संसद का सत्र समाप्त होता है तो समापन के समय वन्दे मातरम गाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर कुछ संस्थाएं आज भी इस बात का प्रयास करती हैं कि वन्दे मातरम् का विरोध हो और वन्दे मातरम का विरोध करके इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जहां प्रयास होता है, वहीं साथ ही साथ देश की संप्रभुता के साथ, उसकी एकता और अखंडता के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाने का भी प्रयास होता है।

दूसरा अनुरोध मैं यह भी करूंगा कि जिस प्रकार से यह विधेयक राट्रीय ध्वज और राट्रीय गान के अपमान के प्रति आया है, ये राट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, राट्रीय गौरव के प्रतीक हमारे वे महापुरुा भी हैं, हमारे देश का संविधान भी है, इस देश के ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। जिनके माध्यम से हमें उन मार्गों पर चलने की प्रेरणा मिलती है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वे भी हमारे गौरव के प्रतीक हैं। उनका अपमान अगर किसी भी स्थिति में या किसी भी स्तर पर होता है तो निश्चित ही वह एक दंडनीय अपराध घोाित किया जाना चाहिए और बार बार देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, ऐसे महापुरुषों का अपमान बार बार कुछ लोगों के द्वारा, इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए बार बार किया जाता है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको संज्ञेय अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए जिससे उन विघटनकारी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो बातें इस विधेयक को लाने के संबंध में यहां रखी हैं, निश्चित ही उनका पूरी तरह से सम्मान करते हुए और समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कुछ चीजें पैदा हुई हैं। उड़ीसा में अभी दंगा हुआ था। वहां कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई थी। वहां तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चाँद-तारा बना दिया गया था। यह सीधे सीधे अपने राट्रीय ध्वज का अपमान है। इस प्रकार की स्थिति केवल उड़ीसा के अंदर ही पैदा नहीं हुई अपितु गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ था। वहां विदेशी झंडे लगाए गए और विदेशी झंडों को सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर वहां बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ, राट्रीय ध्वज का अपमान करने का प्रयास हुआ और यही नहीं, इसके पीछे कुछ वरिठ पुलिस अधिकारियों का समर्थन भी उस कार्यक्रम में मिला। हम लोगों को विरोध करना पड़ा था। लेकिन इस प्रकार की स्थिति पैदा ही क्यों होती है? जो अधिकारी संविधान की शपथ लेकर उस कुर्सी पर बैठता है, वह व्यक्ति ही संविधान की सरासर अवहेलना कर रहा हो, राट्रीय ध्वज का इस प्रकार से अपमान कर रहा हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों को चिह्नित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका एक बार पुनः स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा कि राट्रीय ध्वज और राट्रीय गान के साथ राट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी, तथा अपने गौरव के प्रतीक उन महापुरुषों को भी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था, और हमारे देश की महानतम सांस्कृतिक परंपरा के जो आदर्श रहे हैं, जो ध्वजवाहक रहे हैं, उन महापुरुषों का अपमान भी, संविधान का अपमान भी या जिससे भी हम प्रेरणा लेते हैं, उनके अपमान को भी संज्ञेय अपराध के रूप में शामिल करके इस विधेयक में शामिल किया जाए जिससे किसी को भी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूँ।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I support the Bill. While supporting it, I have to mention about some facts which are historical.

The national flag is a national symbol. It was a symbol of our freedom movement. All along the freedom struggle, we were using this flag without 'Ashok Chakra'. In my school days, I had been using this flag as a symbol of freedom movement. Now, there is an attempt to re-write history to suit political convenience.

Yesterday, I had an occasion to read in *The Hindu* that some leader belonging to the Ruling Party had spoken that RSS stood for what Gandhiji fought for. So, RSS stood for Gandhiji's ideals! That is the day we are living in now.

There is an attempt to mis-represent historical facts. There is a similarity between RSS and Gandhiji. It was said at a time when Dr. Hedgewar was given a particular oration by the Prime Minister himself. It was said that he was proud to be in RSS and Dr. Hedgewar was the Founder of the RSS. At that juncture, it was said that Gandhiji stood for RSS or *vice-versa.* This is what is happening nowadays. I fear that one day they would say that saffron flag is equivalent to national flag. There will come such a day in our lives when they would say that saffron flag resembles national flag. We have to prevent that. That is why, I am supporting this.

Insult to Gandhiji had already taken place. In the near future, insult to national flag may also take place. That is the present situation. History is re-written; freedom movement is re-written; our national leaders are picturised in another way; and they are bringing some communal leaders to the forefront and rating them as leaders of the freedom movement. I never expected that in this century, a leader of the Ruling Party would declare that Gandhiji was fighting for RSS.

I never dreamt it in my life. I have participated in the freedom movement, when I was a student. I was carrying the national flag or the tricolour flag. I never dreamt that there would come a day when they would say that RSS is equivalent to Gandhiji's ideals. It is wonderful! This is the time in which we are living.

History is re-written now to suit political convenience. So, there may come a day, maybe 3-4-5 years after, when we will hear that saffron flag is equivalent to national flag. So, we will have to be cautious. National flag should be given the top place; it has to be honoured. There should not be any insult. The attempt to re-write Indian freedom struggle is lamentable and it is highly objectionable. There is a concerted move to re-write history of freedom movement to suit political convenience.

That is why, I strongly support this Bill and at the same time I would like to sound a caution that such attempts should not be allowed to be made at any rate.

Sir, with these words I support the Bill.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Bill.

There is a reference in the Objects and Statements of the Bill that in the recent past certain instances of showing disrespect to the national flag and national anthem have come to the notice of the Government.

Mr. Chairman, Sir, I am sure you have participated in many Government functions. The swearing-in ceremony of the Ministers, whether it is at the *Rastrapati Bhawan* or at the *Raj Bhawans,* starts with playing of the national anthem. I had the occasion to attend oath-taking ceremonies of a few Supreme Court judges. No national anthem was played at the start of such a oath-taking ceremony of the judges. Last week I attended a function in Chennai High Court where judges of the High Court were being sworn in. Neither at the commencement of the function, that is when the Chief Justice were to administer the oath of Office to the judges, nor at the end of it was the national anthem played. I would like to know if there is any criterion fixed for playing the national anthem or not. Is there any rule or is there any provision, the fulfilment of which is essential for playing the national anthem? Or, should the national anthem be played only in functions that involve the States and the Central Government? Is there any bar on playing the national anthem in judicial functions? That is the main thing that I wanted to bring to the notice of the hon. Home Minister here.

Mr. Chairman, Sir, we all respect the national flag and the national anthem. I remember, at one time, any citizen was allowed to display the national flag on his car on the Independence Day and on the Republic Day. Is that system still in vogue? In a way, our national flag is the symbol of our hard fought freedom struggle. I would like to know from the Government whether all people are free to hoist the national flag at their houses or not. What is the thinking of the Government on this? If the people are allowed to hoist the national flags in their respective houses, then that

would result in arousing a spirit of nationalism in the people. Otherwise, it is only at the time of aggression that we get a national feeling. So, what is the plan of action of the Government on this point?

Sir, the first and the foremost thing is that any national symbol should be protected as a monument. Even the national monuments are protected. I support the Bill but I would expect a reply from the hon. Minister on these points.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Sir, I stand in support of this amending provisions of the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2003.

Sir, the Dhwaj of the epic heroes, the standards of the monarchs and the banners of the warriors have been the rallying point of the followers and it has instilled confidence in the minds of the people at the time of need. It is very important for any nation, any group of people for any cause. You would kindly appreciate the fact that in the *Mahabharata* we come across the *Kapidhwaza* which was the top-most flag of Lord Krishna's Chariot that was invincible.

That is to be the rallying-point for a group of people who were fighting for the *Pandavas* against a formidable group of *Kauravas*.

When we think of our national flag itself, I would like to remind the hon. Members of the way it had been conceived way back in 1921 by Shri Venkaiah of the present Andhra Pradesh. It used to be Madras Presidency in those days. In 1921, the tricolour was conceived and in 1924, Shri Shyam Lal Gupta had composed a beautiful song for the tricolour.

" विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,

झंड़ा ऊंचा रहे हमारा। "

That reverberates even now. The echo is heard even now in every nook and corner of this country. The tricolour has been the symbol of freedom fight, has been the symbol of sacrifice and has been the symbol of rallying-point against the formidable British people. When we think of the tricolour, we have to think of the honour that it evokes in the minds of millions of the people of this country.

The original Act has three portions. One is regarding the National Flag, the other is regarding the Constitution of India and the third one is regarding the National Anthem. I would start with the National Anthem. Shri Yogi Adityanath is not present here. He was talking of *Vande Mataram. Vande Mataram* has been conceived from *Vakdevi Sukta* of *Yajurveda, .* It says;

"अहं राट्री संघमणी,

वसुनां चिकितुसी प्रथमां,

यज्ञांयानाम् अहं रुद्रदेवी, वरूणेभि इत्यादि।"

She says, "I am the State. I bring the entire universe together by unifying minds and composure. Without me, you cannot have a *hawan*. I am the judge of the entire people of the world and the entire universe itself." From that comes the *Vande Mataram*. She says, "I am the State." It is not a small thing for our people in olden days to think of the motherland. When we think of the National Anthem which Tagore has written, the first and foremost point is to think of unity and integrity of this country. The second foremost point is that we must rally around the mother. That is what Shankaracharya has said.

"भवानी भुतेशे बजती,

जगदीशे कपदावी,

भवानी तवत् पानी ग्रहण,

परिपाटी फलम् इदं। "

The God of ghosts has become the God of the universe because he has married you. That is not a small composition at all. That is what we have to think of when we think of our national anthem. Any distortion or any type of disrespect for the national anthem has to be construed as disrespect to the country.

I come to the National Flag itself. In 1947, the entire composition of the National Flag was thought of by a Committee when they went into the details of the National Flag. They prepared the National Flag which is there in the archives of the Indian Standards Institute. It has the original composition of the National Flag which was prepared by a Committee of hon. Members in those days. It has the proportion of 2:3 having tricolours, namely, saffron, white and bottle green at the bottom, with 24 dark blue-coloured spokes as *Ashok Chakra*. Any mutilation of the flag has to be thought of as a contempt or disrespect.

Now, hanging of flag itself also has been thought of. If it is displayed horizontally, the saffron colour has to be looking at the sky and if it is kept in a vertical position, the saffron colour has to look at the north or east. That is the composition. So, any type of display differently would amount to distortion or mutilation in a way.

Yogi Adityanath was speaking about deliberate attempts to create problems. In Fatehpur of Jagjitsinhpur District of my State, a purposely vindictive type of thing was done by mutilating the national flag. I think it is a deliberate attempt to create problems for this country. Now, this amending provision has a very good thing. Creating problems for the Constitution is the third aspect and I am not going into the details of it. This amending provision is a very good thing. It talks about disrespect and contempt. Disrespect has been explained in the amendment itself at section 2 (a). Disrespect and contempt have different connotations. We were thinking of contempt when this Act was passed in 1971. But things have changed. So, connotations also have to change.

1728. Now, in this country we find people who are creating more problems than solving them. There are fissiparous tendencies in this country. People from outside the country are influencing a group of people to create problems for us. People from outside the country are involved in some sort of distortion of facts. Taking this into view, the connotations have to change. The connotations have to change so far as contempt is concerned and so far as disrespect is concerned. That is why these amending provisions have been thought of very correctly. Enhancement in punishment has been indicated in section 3 (a). For all these three matters, for repetition of the offence the minimum punishment has been thought of as one year. Shri Rajo Singh is not here. He has brought about an amendment saying that the minimum punishment should be three years. I think it is not proper. It is because we have provided three years punishment in the main penal provision itself and it is a cognisable offence. So, to keep a minimum punishment of three years, I think, would not be proper. So, the amendment says that the minimum punishment has to be one year for second and subsequent offences.. That is a good thing because it will act as a deterrent for those persons who are creating problems and showing dishonour to the national flag, national anthem and the Constitution of India.

Shri Jagmit Singh Brar was speaking about draperies. But draperies, in a way, necessary for national functions. So, draperies as such, without any intention, is a good thing. It would bring about a sense of respect among the people who are attending the functions. In all respects, this amendment is very good and I support it.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की। निश्चित तौर पर यह विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। देश के लाखों लोगों की कुर्बानियों के पश्चात लाखों लोगों के त्याग और बलिदान के पश्चात हमें यह राट्रीय झंडा प्राप्त हुआ है और जिन लोगों की कुर्बानियों के पश्चात हमें यह राट्रीय झंडा प्राप्त हुआ है, यदि उन लोगों का ही अपमान हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के विधेयकों की कोई सार्थकता उभरकर नहीं आएगी। राट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन राट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि हम राट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, हम राट्रीय झंडे का सम्मान करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों बातों में विरोधाभास स्पट रूप में परिलक्षित होगा। जिन लोगों के द्वारा भी राट्रीय झंडे का अपमान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन यदि अनर्गल आरोप लगाकर समाज के अंदर वैमनस्यता के भाव पैदा किए जाएंगे, अगर समाज के एक वर्ग विशेा को लाभ दिया जाएगा और ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के बाद लोगों को इस परिधि के अंदर नहीं लिया जाएगा तो एक नये तरह का विवाद इस देश के अंदर जन्म लेगा।

मैं इस बात को आपके समक्ष नहीं रखना चाहता था, लेकिन इसी सदन के अंदर मैंने देखा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक का किस तरह से राजनैतिक रूप से प्रयोग किया गया। अभी यहां योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, मैं एक मिनट में उनको यहां बताना चाहता हूं। गोरखपुर में सातवां अंतर्राट्रीय हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे गोरखपुर को भगवा झंडों से रंग दिया गया। राट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को महामंडित करने के लिए एक नहीं, सैंकड़ों बैनर लगाए गए। इस घटना की प्रक्रिया स्वरूप जब गोरखपुर में मोहर्रम का त्यौहार आया तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अपने घरों पर धार्मिक झंडों को लगाया। उन धार्मिक झंडों को पाकिस्तानी और तालिबानी झंडे बताकर वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया गया। दो निर्दोा लोग उस साम्प्रदायिकता की आग की भेट चढ़ गए और परवेज परवाज तथा लखन चंद वर्मा जैसे निर्दोा नागरिकों को आज राट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जिन लोगों ने गोरखपुर को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया, उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और दो निर्दोा लोगों को राट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गोरखपुर की सम्पूर्ण घटना की सीबीआई से जांच कराएं। जिन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए, उनकी भी जांच कराएं और जिन लोगों ने राट्रीय झंडे को अपमानित करने का काम किया, यदि यह बात साबित हो जाए तो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लेकिन राट्रीय झंडे की आड़ लेकर समाज में वैमनस्यता का वातावरण पैदा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राट्रीय झंडा बड़े ही त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको विवाद का विाय नहीं बनाना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राट्रीय झंडा लगी हुई गाड़ियां यदि वेश्यालयों और मदिरालयों के दरवाजों पर खड़ी होंगी, तो यह सबसे बड़ा अपमान है। जिन गाड़ियों पर राट्रीय झंडा लगा हुआ है, चाहे केन्द्र में हो या राज्य में हो, आपको सुनिश्चित करना होगा कि अगर ये गाड़ियां वेश्यालयों या मदिरालयों पर खड़ी पाई जाएं

तो उनके विरूद्ध भी इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह राट्रीय झंडे का अपमान है।

आज जिस तरह से राट्रीय झंडे के सवाल पर विवाद पैदा हुआ है, हम चाहेंगे, अभी हमारे साथी बरार साहब ने जैसा कहा कि देश की आजादी के बाद से अब तक कब-कब और किन-किन लोगों ने किन रूपों में राट्रीय झंडे को अपमानित किया है, इसका उल्लेख भी मंत्री जी को अपने उत्तर में करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताना चाहिए कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। अगर यह नहीं बताएंगे तो जो राट्रीय झंडे और राट्रीय सम्मान की बात कर रहे हैं, उस मंशा को प्राप्त नहीं करेंगे।

राट्रभाा को अपमानित करने वाले लोगों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : लेकिन राट्रभाा है कहां ?

कुंवर अखिलेश सिंह : आप कह दें कि राट्रभाा नहीं है, तो यह विवाद खत्म हो जाएगा। राट्रभाा को अपमानित किया जा रहा है, तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको भी इस विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो राट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया है, मैं उसका शिव सेना पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। इसमें दूसरे पेज पर एक क्लाज लिखी गई है।

Clause 3A says:

> "Whoever, having already been convicted of an offence under section 2 or section 3, is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than one year."

एक बरस नहीं, उसको आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। जो दूसरी क्लाज है,

The Statement of Objects and Reasons says:

> "Cases involving disrespect to the National Flag and the National Anthem have come to the notice of the Government in the recent past."

इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। अगर राट्रगीत का अपमान कोई करता है, तो उसको भी सजा देनी चाहिए। राट्रगीत हमारे देश की राट्रीय भावना है। इस भावना के नाते हम राट्रगीत गाते हैं। मैं मंत्री जी विनती करता हूं कि इसको भी इन्क्लूड किया जाए और जो अपमानित करे, उसको सजा दी जाए। राट्रगीत के बारे में यहां कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। राट्रगीत वन्दे मातरम् बंकिम चन्द जी ने लिखा है। यह वह गीत है, जिससे सारे देश के लोग प्रभावित हुए थे।

वंदे-मातरम् गीत गाते-गाते हिंदू-मुसलमानों ने बहुत बलिदान किये हैं। वंदे-मातरम् में शूरता है, पराक्रम है, त्याग है और सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे-मातरम् गाकर देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी, बहादुर शाह, तात्या-टोपे, शाबिर बंधु, बटुकेश्वर दत्त, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, नेताजी सुभाा चन्द्र बोस आदि की वजह से देश को आजादी मिली। कांग्रेस ने सन् 1939 में वंदे-मातरम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था लेकिन वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। आज जन-गण-मन राट्रीय गीत है। देश के दो टुकड़े हुए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने। पंजाब आधा और सिंध भारत से चला गया। हम गाते हैं कि " पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा" लेकिन यह अधूरा राट्रीय गीत है। आज वंदे-मातरम् को राट्रीय गीत का दर्जा नहीं दिया गया है, यह दुर्भाग्य की बात है। वंदे-मातरम् के बारे में लोगों में बड़ी गलत-फहमी है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इसके बारे में गलत प्रचार किया जाता है और कुछ धर्मांध लोग इसके बारे में गलत प्रचार करते हैं। इसका मतलब है कि " माते, मैं आपके सामने झुकता हूं" । इस्लाम धर्म के अनुसार कोई माटी के आगे नहीं झुकता है। इसलिए वे कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे। ऐसी शिक्षा बच्चों को वे देते हैं। 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, अगर मुल्ला-मौलवी ऐसी शिक्षा बच्चों को देंगे तो उनके मन में क्या भावना होगी। वंदे-मातरम गाते हुए कितने ही मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, वह देश के सामने आनी चाहिए। अखिलेश जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में राट्रीय गीत है, राट्रीय ध्वज है, राट्रीय पक्षी है लेकिन रा़ट्रीय भाा नहीं है। बिना भाा के हिंदुस्तान है, यह दुर्भाग्य की बात है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन वह सरकारी भाा हमने स्वीकार की है। हमारे पहले राट्रपति डा. राजेन्द्र बाबू ने कहा था कि हम इसे सरकारी भाा स्वीकार कर रहे हैं लेकिन 15 वर्षों में यह राट्रीय भाा बन जानी चाहिए, लेकिन वह राट्रीय भाा नहीं हुई। मेरा राट्र, मेरी राट्र-भाा, मेरा राट्र-ध्वज, मेरा राष्ट्रीय-गीत, इन सब का सम्मान होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि " मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल-किले पर तिरंगा निशान" । यह कायम रहना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि राट्रीय-ध्वज का जो लोग अपमान करते हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इससे सारे लोग सहमत हैं।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): There are three-four official languages in so many countries.

SHRI MOHAN RAWALE : I am talking about our country. हमारे देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राट्रीय-ध्वज को सलाम करने में अपना अपमान समझा है।â€¦ (व्यवधान) *

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह बात सही नहीं है।

श्री मोहन रावले : पेपर में छपा आता था।

श्री रूपचन्द पाल : इस पर कंट्रोवर्सी बनाना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है।

* Not Recorded

सभापति महोदय : असंगत बात प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगी।

श्री मोहन रावले : महोदय, सही बात हो, तो प्रोसीडिंग में आनी चाहिए। मैं अखबार का नाम बता सकता हूं, जिसमें यह खबर छपकर आई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राट्र-ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, तो उनको भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करेता हूं।

अंत में, महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, while supporting the Bill, I would like to make a few suggestions on the basis of some recent experience we had on the occasion of the World Cup match. In many parts of the country, the national flag was used to express enthusiasm in support of the Indian team. In certain principal areas, we have been expressing our concern that after the completion of the cricket match, what will happen to these millions and millions of small paper national flags − tricolour and all other symbols.

We had in the past a practice by a Government instruction that the people in the cinema halls should stand up when the National Anthem is sung or the National Anthem is played. But ultimately it had to be discontinued because people, inadvertently, not wilfully, could not pay respect to the National Anthem. So, it was discontinued. We have seen about the use of the national flag. In the Government buildings it should be raised at 6 a.m. in the morning and in the evening, with the sunset it should be brought down. This practice as to what should be done, how the national flag should be honoured, how the National Anthem should be honoured requires education in the schools, among the citizens, and even among the bureaucrats and the politicians. Sometimes we have seen that the national flag is being used just upside down in the car and it has been left to the responsibility of the driver of the car to take care of that.

People who are repeatedly committing the offence wilfully, just dishonouring the national flag or the National Anthem should be punished. The national flag has a particular size. Some of us have tried to ascertain whether the national flags which are being sold on the occasion of the 15th August and 26th January are according to the prescribed measurement of the national flag or not. They are not according to the measurement. Sometimes, they have been used to wrap up the body.

In the Explanation given about disrespect, so many things − wrong display; how in enthusiasm it has been used as costumes or uniform; and how the emblems are being distorted − have been stated. My suggestion is that along with this, there should be some provision for educating our children and our citizens to properly honour our national flag.

Lastly, something was stated about the *Vande Mataram*. *Vande Mataram* is not the National Anthem. In *Vande Mataram,* there are more than 44 presentations.

This is what I could count from the help of the eminent instrumentalists and musicians. This is after the latest disco type of presentation of Vande Mataram. There have been a lot of literatures on how Vande Mataram came. Those who do not know anything about how it came, what was the debate, how Pandit Nehru had chosen only this one, under what circumstances and why the nation decided to have this Jana Gana Mana as the National Anthem should be educated. This also requires education. Whoever he may be or she may be, should be properly educated about the history of the National Flag and about the National Anthem and how it should be honoured.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसे कहा गया है - जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, ह्रदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में जब हमारी संस्कृति में जहां यह कहा गया है मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, वहां यह भी कहा गया है राट्र देवो भवः। हम अपने राट्र को भी देवता तुल्य समझें, अपने राट्र को देवता तुल्य आदरणीय और सम्मान की दृटि से देखें, पहले भारत, फिर हम, भारत मेरा देश, हम सब भाई-बहन और इस भारत का प्रतीक हमारा तिरंगा ध्वज, भारत की आन-बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा राट्रीय ध्वज, भारत का त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक हमारा राट्रीय ध्वज। जिसके सम्मान की रक्षा के लिए हजारों माताओं की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई, जिसके लिए हजारों बहनों की मांग का सिंदूर हमेशा के लिए पोंछ दिया गया, जिसके लिए अंग्रेजों की काल कोठरियों में लोगों ने लाठियां और गोलियां खाई और अपने सिर फुड़वाये, जिसके लिए अंडमान की काल कोठरियों में लोगों ने यातनाएं सहीं। आजादी की लड़ाई के बाद जो हमारे भारत का राट्रीय ध्वज बना, वह हमारी आन-बान और शान का प्रतीक है और उसका सम्मान सर्वोपरि है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे मित्र ने ठीक कहा -

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है।

इसलिए अपनी भाषा, अपना देश, देता गौरव का संदेश। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा भारत का संविधान, हमारी पवित्र पुस्तक, जैसे हमारे धर्मग्रंथ हैं, ऐसे ही भारत का संविधान हमारे लिए आदरणीय और पूज्य है। ऐसे ही हमारे लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और उसमें जो अशोक चक्र है, वह गतिशीलता का प्रतीक है। हम हमेशा आगे बढ़ें, उद्यानंते पुरुं नावयानं। हे पुरु, हे भारतवासी तू हमेशा उन्नति की ओर चल, कभी अवनति की ओर मत जा, यह आगे बढ़ने का संदेश देने वाला और सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, इस बात का संदेश देने वाला यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव बना रहना चाहिए और इसलिए इसमें जो एकता की भावना बंधी है और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कब-कब इसका अपमान माना जाए और उन परिस्थितियों में कैसी सजा दी जाए, इन सब प्रावधानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और वास्तव में इनका पालन हम सबका कर्तव्य है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वंदेमातरम के महत्व को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में वंदेमातरम् कहते हुए लोग गोलियों से भून दिये गये और वह भी हममें देशभक्ति की भावना का संचार करता है। देश में जन गण मन, वंदेमातरम्, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान और भारत की राष्ट्रीय भाषा इन सबका पूर्ण सम्मान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Hon. Chairman, Sir, I must congratulate the Government for bringing this Bill. In our part of the country, there is a phenomenon to boycott 26th January and 15th August functions by the terrorist groups. Not only that, they also organised some demonstrations in various places where they showed disrespect to the National Flag. This sort of a rule is a very welcome feature. I think regarding the implementation of the rule, it is not only given to the police but also to the para-military people also because they keep on guard.

I remember one thing. It happened in some constituency. The para-military police was there. They caught hold of a man and brought him to the police. Then the court gave a judgement saying that they have no authority to implement the local law and order.

Now, this Bill has been drafted very nicely but I do not know who is going to be the implementing authority. I am not an expert but my request is that when you make the rule, you should kindly take care of that particular aspect so that whoever is in law and order duty in any part of the country could implement this law and ensure that respect is shown to our National Flag.

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill.

Most of the illiterate people are ready to honour the National Anthem as well as the National Flag but most of the insult is done by the educated and enlightened people and politicians. These activities must be stopped through stringent laws enforced by the Central Government.

When one or two of my colleagues and friends spoke, they said that we want a national language. We are of the view that all the eighteen languages should be national languages. Switzerland has three national languages. In South Africa, they have four or five national languages. Unless we give top respect to the different races and languages in different regions of the country, we cannot get full co-operation from the people. Our country is like a continent with different races, different religions and different languages. So, I humbly request all hon. Members that equal respect should be given to all the languages.

Our Government has recently announced Sanskrit as one of the classical languages. I insist Tamil the Ancient Language must be declared as one of the classical language. In the Constituent Assembly, on the proposal for adoption of Hindi as national language, there were equal votes on both sides. Finally, the then Chairman and the first President of the country Dr. Rajendra Prasad, while casting the deciding vote, voted in favour of Hindi, as was quoted earlier by my friend Shri Mohan Rawale. If we want to maintain the culture of the nation, we must give equal importance and respect to all the languages and races. That would help boost the honour of the national symbols as well as the nation.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Please add our Kannada language also along with your language.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : That is our sister language along with Telugu and Malayalam.

SHRI ADHI SHANKAR : Tamil is the mother language of all the Dravidian languages.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सन् 1971 का यह विधेयक था जिसमें संशोधन लाने का मंत्री जी ने काम किया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कहा जाता है :-

"हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई,

केसरिया बल भरने वाली सदा रहे सच्चाई। "

ऐसा तीन रंग वाला और चक्र वाला यह झंडा है।

बहुत लोगों को पता नहीं होगा और वे इसको तीन रंग का कपड़ा समझते हैं, लेकिन यह राट्र का प्रतीक हमारी अस्मिता का प्रतीक है। पुरखों ने कुर्बानी देकर इसे हासिल किया है। इसलिए हम सब संकल्प लेते हैं कि - चाहे जान रहे या जाए झंडा नहीं झुकने देंगे।

महोदय, इस विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हैं। बड़ा भारी राट्रभक्ति वाला काम इन्होंने किया है। लेकिन हम इनसे पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि "Ignorance of law is no excuse". जो कोई कानून नहीं जानेगा और गलती करेगा, उसकी मांफी नहीं है। माननीय मंत्र जी से मैं जानना चाहता हूँ कि कानून पहले 1971 में भी बना था और फिर उसमें निरादर शब्द जोड़ रहे हैं कि किसी ढंग से अपमान सहन नहीं किया जाएगा। झंडे को कोई झुकाएगा, घसीटेगा, या उस पर कुछ लिख देगा, यह सब एक्सप्लानेशन में जोड़ा गया है। लेकिन यह विधेयक आप पास करा लेंगे, गैज़ट में छप जाएगा मगर सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी कैसे इसको जान पाएगी?

यह कानून हमने पारित किया है, लोग इसे जानें और इसका पालन करें। जब कानून बना है और यदि अनजाने में कोई भूल करता है, तो कोई माफी नहीं है। आपने इसे प्रचारित करने के लिए, आम जनता के बीच में यह बात जाए कि इस प्रकार का कानून बना है कि यदि राट्रध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान होगा, तो सजा मिलेगी, इससे जनता को अवगत कराने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है, क्या प्रयास किया है ?

महोदय, अंग्रेजी सल्तनत में एक बात यह थी कि कानून को गजट में छाप दिया जाता था और यह मान लिया जाता था कि उस कानून के बारे में जनता जान गई है। हमारे देश में तो आधी से ज्यादा जनता अनपढ़ है, कम पढ़ी है, आधी पढ़ी है, ऐसे सब लोगों को जानकारी देने के लिए आपने कौनसा कानून बनाया है, कौन सी कार्र वाई की है। यहां चर्चा हो गई, हम लोग समझ गए, कानून पास कर दिया, गजट में निकाल दिया, पढ़े-लिखे लोग समझ गए, लेकिन आम जनता को कौन समझाए या बताए। इसलिए सवाल नंबर एक का जवाब देने की कृपा करें।

महोदय, सवाल नंबर दो यह है कि इसके उद्देश्य और हेतु में लिखा है कि यह कानून राट्रध्वज और राट्रगान के प्रति अनादर से संबंधित होगा और ऐसे अनेक मामले हाल ही में सरकार के सामने आए हैं और इसीलिए सरकार प्रेरित हुई है और माननीय मंत्री जी ने कट किया है कि राट्रध्वज को यदि कोई अपमानित करेगा, किसी भी सूरत में, उस सूरत को इसमें परिभाति किया गया है, उसे दंड दिया जाएगा। आपने इसमें राट्रध्वज और राट्रगान दोनों का लिखा है, लेकिन आप कानून केवल राट्रध्वज के लिए ही लाए हैं। आपने राट्रगान को क्यों छोड़ दिया। उसका कानून में कोई जिक्र नहीं है। क्या राट्रगान को आप कोई महत्व नहीं दे रहे हैं या सरकार राट्रगान को कोई महत्व नहीं देती है जबकि सरकार ने अपने उद्देश्य और हेतु में कबूल किया है कि राट्रध्वज और राट्रगान दोनों को अपमानित करने की सूचना आई है। यदि ऐसा है, तो आपको केवल राट्रध्वज के लिए प्रेरणा मिल गई और राट्रगान का अपमान करने का कानून लाने से आपको किसने रोक दिया ? राट्रध्वज के लिए आप कानून लाए, आपने ठीक किया, लेकिन आप राट्रगान के लिए कानून क्यों नहीं लाए। क्या भूल से छूट गया या आपने जानबूझकर उसे छोड़ दिया, क्या राट्रगान के प्रति आपकी ममता नहीं है, क्या राट्रगान के प्रति आपका आदर नहीं है, यह बताएं।

महोदय, नंबर तीन सवाल यह है कि पहले कानून बना हुआ है कि जो भी राट्रध्वज का अपमान करेगा, उसे तीन साल की सजा दी जाएगी, लेकिन उस कानून के बाद आप जो यह नया कानून लाए हैं, इसमें सजा एक साल कर दी गई है कि यदि दुबारा यह सिद्ध हो जाए कि किसी ने दुबारा राट्रध्वज का अपमान किया है, तो पहले तो उसे तीन साल की सजा दी गई, लेकिन बाद के अपराध के लिए केवल एक साल की सजा दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति बार-बार राट्रध्वज के अपमान का दोषी पाया जाए, तो उसे पहली बार तीन वर्ा की सजा मिलेगी और बाद में केवल एक-एक वर्ा की सजा बाद के अपराध के लिए मिलेगी, क्या ऐसा है ? इसमें दिया गया है कि पूर्ववर्ती अपराध के दोषी व्यक्ति को पश्तातवर्ती अपराध का दोषी पाए जाने पर सजा एक साल के लिए दी जाएगी। यानी पहली बार कोई अपराध करे तो उसे तीन वर्ा की सजा और बाद में वही व्यक्ति बार-बार अपराध करे, तो बाद के अपराधों के लिए उसे केवल एक-एक वर्ा की सजा दी जाएगी। जो व्यक्ति बार-बार बदमाशी कर रहा है, बार-बार राट्रध्वज का अपमान कर रहा है, उसे पहली बार तीन वर्ा और बाद में केवल एक वर्ा की सजा दी जाएगी, यह आपका कैसा कानून है। कौन यह कानून बनाते हैं। अधिकारी वर्ग कानून बनाकर आपके हाथ में थमा देते हैं और आप उसे लेकर यहां आ जाते हैं। मैं तो कानूनवेत्ता नहीं हूं, लेकिन यहां बहुत से कानूनवेत्ता बैठे हैं। वे मुझे समझाएं कि यह कैसा कानून है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : वैसे इसके पारित करते समय मैं आपकी बात का उत्तर देता, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको इस बारे में बीच में ही समझा देता हूं। पुराने कानून के अनुसार तीन साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों दिए जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत किसी को एक दिन की सजा दी जाती है, किसी को 10 दिन की और किसी को एक महीने की। किसी के ऊपर जुर्माना करते समय एक रुपए का जुर्माना किया जा सकता है और 100 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए ऐसा किया गया है कि अब कम से कम एक वर्ा की सजा दी जाएगी।

18.00 hrs.

सभापति महोदय : छः बज रहे हैं, 3-4 माननीय सदस्यों का बोलना बाकी है। सदन की सहमति से इस बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : पहले कानून में है कि उसका अन्यथा अपमान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ा तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा। पहले केस के सम्बन्ध में यह प्रावधान है। उसके बाद अभी जो आप कानून लाये हैं, उसमें है कि धारा दो या धारा तीन के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोसिद्ध किया जा चुका है, ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः दोसिद्ध किया जाता है, दोबारा फिर दोसिद्ध किया जाता है, वह दूसरे व प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जो एक वर्ा से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा। तीन वर्ा की सजा से फिर एक वर्ा की सजा का है। आप दोबारा पढ़ लीजिए, हम तो पंक्ति को पढ़कर सुना रहे हैं। इसमें कहां कन्फ्यूजन है और कहां गड़बड़ी है। कानून का मतलब साफ बात होती है, जो सहज ढंग से बुझाये। ऐसा-ऐसा लिखे हुए हैं कि लगता कुछ अलग है। उसमें सीधे लिखना चाहिए कि इतने वर्ा का दण्ड होगा। इस सवाल का माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

इसके बाद इन्होंने कहा है कि राट्रीय ध्वज का अपमान कहीं बोलकर हो या एक्शन से हो, इसमें लिखा है कि यदि केसरिया को ऊपर रहना है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है, कभी-कभी अनजाने में गांव के बहुत से लोग नहीं जानते तो वे केसरिया को नीचे कर देते हैं, हरे को ऊपर टांग देते हैं, कभी-कभी बड़े लोग भी ऐसा कर देते हैं तो उनको कितने वर्ा की सजा होगी। लिखा है कि साशय माने इंटेंशनली, यह कैसे साबित होगा कि जान-बूझकर किया है, इंटेंशनली किया है या नहीं किया है। निकपट भूल हुई है या जान-बूझकर भूल हुई है, इसका निवारण कैसे होगा। अभी मुखिया ने झंडा फहरा दिया, वह नहीं जानते थे कि कौन सा रंग ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। केसरिया को नीचे कर दिया, हरे को ऊपर कर दिया, गांव के बहुत से लोग नहीं जानते कि कौन सा रंग ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। मैं असली भेद खोल रहा हूं। पुलिस वालों ने उसे हैरान कर दिया तो आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं, जहां निकपट भूल किसी से हो जाये, उसे भी पुलिस वाला हथकड़ी लगाकर थाने ले जाये। तब सब कोई कहेगा कि राट्रीय झंडे का अपमान किया तो क्यों नहीं सजा के भागी होगे। इसलिए इस पर आपने क्या सावधानियां बरतीं।

अन्तिम सवाल है कि राट्रीय ध्वज का अपमान बोल-चाल से, काम से जैसे भी हो, वह दण्ड का भागी होगा। हमारे देश में एक संस्था है, वह कहती है कि राट्रध्वज भगवा ध्वज है तो उसे कितने साल की सजा होगी? यह जो कानून आपने बनाया है, उसमें वह कसूरवार है या नहीं है? आर.एस.एस. में लोग पढ़ाई करते हैं राट्रध्वज भगवा ध्वज है तो यह राट्रध्वज का अपमान है या नहीं है? उन सब के विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई करेंगे, नहीं तो यह देश में कैसी पढ़ाई हो रही है। हम लोग कहते हैं कि तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा और वहां पर लोग कह रहे हैं कि राट्रध्वज भगवा ध्वज है, उन पर आप कौन सी और कैसी कार्रवाई करेंगे और कब उन्हें जेल में भरेंगे? आप आर.एस.एस. वालों को कब पकड़ेंगे? इन सब सवालों का जवाब दीजिए तब हम मानेंगे कि आप सही में कानून लाये हैं। राट्रध्वज भगवा ध्वज, हिन्दुत्व राष्ट्रत्व, आर.एस.एस. कहता है, सारा कुछ एक चाल की अनुवर्तिका से ही संचालित होगा।

यह फासिस्ट संस्थान जो हमारे राट्र ध्वज को भगवा ध्वज कहता है तो यह तिरंगा हमारा राट्र ध्वज होगा या भगवा ध्वज हमारा राट्र ध्वज होगा, इसे आप स्पट करें कि आर.एस.एस. वालों पर आप इस कानून के तहत कौन सी कार्रवाई करेंगे ? आपने इसीलिए इसे तीन बरस से घटाकर एक बरस कर दिया है। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समाप्त करिये। अब आपकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : राट्र ध्वज का सम्मान करें, राट्र का सम्मान करें और हमारा झंड़ा ऊंचा रहे, इसके लिए केवल कानून बने नहीं, बल्कि लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाये और उसे लागू किया जाये। जो कोई भी उस कानून का उल्लंघन करे, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। यह न हो कि कमजोर आदमी पर कार्रवाई हो और बड़े आदमी पर कार्रवाई न हो। यह भेदभाव बंद होना चाहिए तभी राट्र ध्वज, राट्रगान और राट्र का सम्मान बढ़ेगा नहीं तो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना-- इससे काम नहीं चलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जी.एम.बनातवाला : सभापति महोदय, मैं इस बिल का मुकम्मल ताईद करता हूं, सपोर्ट करता हूं। यकीनन कौमी परचम, नैशनल झंड़ा हर एहतराम का मुस्तहिक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई सेहतमंद शहरी हमारे कौमी परचम की किसी तरह तौहीन करे । यह सोचा भी नहीं जा सकता। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बतलाया गया है कि हुकूमत के सामने ऐसे हादसे आये हैं, ऐसे वाक्यात आये हैं जिसमें कौमी परचम की तौहीन हुई है। मुझे इस पर हैरत है। कौमीपरचम की मामूली से मामूली बेहुरमती भी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कौमी परचम नैशनल फ्लैग हमारी सबकी आरजुओं, उमंगों, हमारे सबके ख्यालात और नजरियात का मज्जहर पेश करता है। कौमी परचम को पूरी शान के साथ लहराना चाहिए। यह मुल्क की शान है जिसके अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता।

जनाब चेयरमैन, जिस वक्त कांस्टीट्यूंट असेम्बली के अंदर रेजोलूशन आया था और यह कौमी परचम आफिशियली तौर पर रिकोग्नाइज्ड किया जा रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग के लीडर चौधरी खुलीक-अल-जमां ने कांस्टीट्वेंट असेम्बली में कौमी परचम के एहतराम में वह जबरदस्त तकरीर की थी कि पंडित नेहरू जी ने उठकर उन्हें अपने गले लगा लिया। हर शख्स यह जानता है कि यह कौमी परचम किसी पार्टी का झंड़ा नहीं है, यह मुल्क का झंड़ा है। हमें किसी से कितनी भी शिकायतें हों, किसी पार्टी से, किसी शख्स से, किसी ग्रुप से हमें कितनी ही शिकायतें हों लेकिन कौमी परचम हमेशा पूरी शान के साथ लहरायेगा। उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता।

मुझे याद आ रहा है कि कांस्टीट्वेंट असेम्बली में मुस्लिम लीग, इंडियम यूनियन मुस्लिम लीग ने कितने मुतालबाद पेश किये थे, कितने मुतालबाद रद्द हो गये। जिस वक्त कांस्टीट्यूशन मंजूर हुआ, योमे जम्हूरिया 26 जनवरी को कायदे मिलत जनाब चौधरी इस्माइल सदर इंडियन यूनियम मुस्लिम लीग, अपनी शेरवानी पर बराबर कौमी परचम लगाकर पूरी शान के साथ घूम रहे थे।

सभापति महोदय, मुझे एक एतराज है। एक वक्त अभी हाल में ऐसा आया था कि मुसलमानों के दिल इतने दुखी थे कि कुछ ने मशविरा दिया कि यानी आजादी यानी जम्हूरियत पर कौमी परचम जो लहराया जाता है, उसका बॉयकॉट हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगे बढ़ी और उसने कहा कि यह नहीं हो सकता और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरी कामयाबी के साथ अपना दवाब डाला कि इस किस्म की तजवीज़ वापस हो और हर एक बराबर कौमी परचम की शान के मौके पर एहतराम के तौर पर मौजूद रहे, बॉयकॉट का कोई सवाल पैदा नहीं हो। यह तारीख है और इस तारीख के साथ आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि हमारा कौमी परचम लहराता रहे, कौमी ज़जबात कायम रहें और मेरी समझ में नहीं आ सकता कि इसमें कोई किसी किस्म की बेहुरमति हो। हां, अगर कोई बेहुरमति करता है तो सख्त से सख्त सजा उसे दी जाए लेकिन मैं एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि अगर कोई बेहुरमति करता है तो उसको सख्त सजा हो लेकिन इस वाक्ये को कम्युनल या फिरकाराना रंग देने की कोशिश न की जाए और मुल्क में अमन का खामख्वाह दरम-भरम न किया जाए। मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तान में बसने वाले तमाम लोग चाहे वे किसी भी मज़हब या जुबान या कल्चर से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हर एक के दिल में कौमी झंडे के लिए इज्ज़त और इसका एहतराम है। इस बारे में किसी को कोई शक और शुभा नहीं होना चाहिए।

यहां पर वंदे मातरम के बारे में कुछ कहा गया है। वंदे मातरम नेशनल एन्थम नहीं है। एक लम्बी तारीख है लेकिन चूंकि यह बिल और वंदे मातरम जो नेशनल एन्थम नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए इस तफ्सील के इस मौके पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बहस अगर होगी तो किसी मौके पर उसको भी कर लिया जाएगा। वैसे आजादी से पहले ही इसका सोल्यूशन निकल चुका था और इस सोल्यूशन के ऊपर चलना चाहिए। एक आखिरी बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं और वह यह है कि हमारा एक कौमी गीत है जिसे भुलाया जा रहा है और वह अल्लामा इकबाल का है: सारे जहां से अचछा हिन्दोस्तां हमारा। इसको हर मौके पर भुलाया जा रहा है। मेरी हर एक से अपील है और इस हैसियत के जेरिए पूरे मुल्क से अपील है कि इतना खूबसूरत कौमी गीत जो इतने अच्छे और सेहतमंद जज़वात को उबारता है कि:

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसितां हमारा।

इस पर भी तवज्ज़ह दी जाए। इसको मकाम दिया जाए। मैं कहता हूं कि जब हमारा सैशन शुरू होता है तो शुरू में हम जनगण मन गाते हैं, एहतराम करते हैं। आखिर में वंदे मातरम लाते हैं। साथ-साथ उसके सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा भी लाया जाए और मुल्क के अंदर वह फिज़ा कायम की जाए जो हमारी एकता के लिए बहुत जरूरी है। कौमी परचम की बेइज्ज़ती कोई गवारा नही कर सकता। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you Mr. Chairman, Sir, for allowing me to speak on the Prevention of Insults to the National Honour (Amendment) Bill, 2003.

I think the National Anthem and the National Flag must receive the respect that is due to them, but I am also of the view that loyalty is an emotion and it is a sentiment. It can be won but it cannot be foisted. It is not a physical commodity that can be foisted by force of law, arms, physically, and by numerical strength which the Indian Union consists of.

The Union Flag is a continuation of the Congress flag. The Congress flag was made on communal lines. Saffron symbolises the colour of the Hindus, white that of the Jains and the Buddhists, and the green of the Muslims. We, the Sikhs, who have contributed so much to the independent struggle, have not been associated with this tri-colour. There are no portraits or busts or statues of Sikhs in the galleries of Parliament or outside. I want to know from the hon. Minister of State for Home Affairs as to why we have been kept out of this national life. Have we not made any sacrifices for the Independence struggle? Is it just one community that made all the struggles? I want an answer from the hon. Minister why we have been kept away from Parliament, from the National Flag, and from the National Anthem. As the Americans rebelled against the British saying that there shall be no taxation without representation, I would say that there can be no loyalty without participation and consultation. The Sikhs have no participation in India's foreign, economic, defence, and home policies, though we are a strong component of the Union, as Hindus and Muslims. We demand that the shortcomings be made good immediately and the dark blue colour be inserted in the tri-colour to indicate our representation.

Furthermore, as I have said, this is a continuation of the Congress flag. After Independence, important minorities and races have come into the Union. I would request the Hon. Minister that the Government should constitute a new Commission and there should be a new Indian Flag with the new ideology, and the new ethnic character. The Dravidians, the Malayalis, the Telugus, and the Sikhs should also be brought before the Commission and we should have a revised flag of the Union. That is my humble wish. In the present state, because of its Congress past, for the Sikhs, this Flag signifies bloodshed, ethnic cleansing, genocide, atrocities, injustice, and attack on the holy of the holiest, the Golden Temple. Therefore, I would request that we have a new Flag.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Sir, how could he say that?

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : The Congress should not get upset when I speak a truth...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : कोई असंगत बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : You have committed genocide and you have attacked the Golden Temple.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : Sir, I rise to support this Bill. In the Statement of Objects and Reasons, there is a mention of certain symbols. I think, the National Anthem is not the only symbol of our nation; there are other symbols as well. I would like to mention about *Vande Mataram.* The song *Vande Mataram* is not our National Anthem but it carries no less importance than *Jana Gana Mana.*

Sir, I think it has already come to the notice of the Government that *Vande Mataram* is being sung in different tunes by very eminent singers in this country. I would not like to take their names here. The cassettes and records of this

are being played all over the country. This tune has become more accepted than the other popular tunes. What about the attitude of the people who are singing such tunes?

Sir, we have other national symbols as well. Lotus is also one of our national symbols. But it has been politicized now. It has been politically hijacked. We are talking about National Flags. It has been already mentioned in the Bill and I agree with the provisions as contained in the Bill. In some newspapers some statesmen have made statements saying that the *Ashok chakra* in the middle of the National Flag needs to be reviewed. It is a symbol of Buddhist religion. It only shows the attitude of those people who have made such comments in regard to our National Flag. I would also like to say that all those cassettes and records on *vande Mataram* should be banned. It may have been sung by an eminent singer, maybe the Nightingale of India, but it is a question of our national honour. That needs to be protected at all costs. I hope the Government would be bold enough to protect the dignity and honour of our nation.

There has also been a proposal in some corners of the country that the name *Bharat* should be changed to *Hindustan.* This debate has already been put to rest. Our country is India.

Sir, I support this Bill but I would like to appeal through you to the Government that they should be bold enough to protect our national honour.

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति जी, राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 का मैं समर्थन करता हूं। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है और मैं एक विचार यहां सदन में रखना चाहता हूं। वैसे अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विधेयक को पढ़ लिया होगा। मेरा कहना यह है कि विधेयक पास करना और राष्ट्रीय अभिमान, दो अलग-अलग चीजें हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार को और मंत्री जी को दुख हुआ होगा। मुझे लगता है कि इस राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्र-प्रेमी आदमी को राष्ट्रीय भावना को सिखाना और वह भी संसद में बिल लाकर, इससे ज्यादा और कोई मजबूरी नहीं हो सकती है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करेगा, तो उसको कैद हो जाएगी। जो इंसान इस राष्ट्र में रहता है, अगर इस राष्ट्र की भावना को नहीं समझेगा और समझकर भी राष्ट्र का अपमान करेगा, तो उसको सजा होगी। मुझे लगता है कि वह राष्ट्र प्रेमी इन्सान नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि तीन मुद्दों से संबंधित यह बिल है। जो इन्सान इस राष्ट्र में

रहता है, उसको ये तीन बातें समझने की जरूरत है।

महोदय, सबसे पहले बात यह है कि राट्र की डैफिनिशन क्या है। मैंने जो एनालिसैस किया है, उसके अनुसार मैं राट्र को फिजिकल बाउन्ड्री मानता हूं। अगर जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक राट्र है और राट्र की भावना फिजिकल बाउन्ड्री है, तो जम्मू-कश्मीर में रहने वाला आदमी टैरेरिस्ट आर्गेनिजेशन से है, तो वह कहता है कि हम पाकिस्तान के एक हिस्से हैं। ऐसी स्थिति में यह डैफिनिशन कैसे हो सकती है और अगर राट्र की डैफिनिशन फिजिकल बाउन्ड्री नहीं है, तो काश्मीर में डैफिनिशन अलग है, बोडोलैंड में डैफिनिशन अलग है। इसलिए राट्र की डैफिनिशन को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात - राट्र अभिमान क्या है। राट्र अभिमान को प्रोटैक्ट करने के लिए हम कानून ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राट्र अभिमान ऐसी चीज है, जिसको हम बाजार से खरीद सकते हैं। राट्र अभिमान ऐसी चीज है, जो बेची जा सकती है। राट्र अभिमान ऐसी चीज है, जिसका बंटवारा किया जा सकता है। राट्र अभिमान क्या है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे विचार से राट्र अभिमान इंसानियत है। इंसानियत का मतलब है, इस राट्र में इन्सान, इन्सान के साथ इंसानियत से रहे। अगर इंसान तीन बातों को समझ लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कानून पास करने की जरूरत होगी। हम बोलते हैं - मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। ऐसा कौन सा मुस्लिम धर्म है, जिसके पैगाम्बर ने कहा है कि मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिन्दू के गले का खून निकालो। ऐसा कौन सा ईसाई धर्म है, जिसमें कहा गया है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इंसान का खून निकालो। ऐसा कौन सा हिन्दू धर्म है, जिसमें हिन्दू धर्म को अपनाने के लिए मुसलमान की हत्या करने के लिए कहा गया है। जब ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, तो सबसे बड़ा यह सवाल पैदा होता है कि वे कौन लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, राट्र धर्म और राट्रीय ध्वज का पोलिटिक्लाइजेशन किया जा रहा है। हम सदन में यह विधेयक पास करने जा रहे हैं, जिसका थीम राट्र भावना है। मैं कहता हूं, अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में हवाला कांड होता। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में यूरिया स्कैम होता। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में चारा घोटाला होता। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में बोफोर्स कान्ड होता। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में पार्लियामेंट के एटैक में हिन्दू खून शामिल होता। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में अक्षरधाम की घटना होती। अगर राट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन â€¦ (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सजा लागू करने से राट्र भावना नहीं आ सकती है।

राट्रीय भावना की शुरूआत हमें संसद से करनी पड़ेगी। राट्रीय भावना की शुरूआत सब पार्टी के लीडर्स से करनी चाहिए। हम मैसेज दे रहे हैं कि हम हिन्दुओं के लीडर हैं। हम मैसेज दे रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान के लीडर नहीं है। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम पावर्टी एलीविएशन के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम अंतर्राट्रीय स्तर पर अपने देश का मान और शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम हैल्थ में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम गरीबों के लिए फूड सिक्युरिटी दे रहे हैं। अगर हमारी संसद का ये एजेंडा होगा तो मुझे लगता है कि राट्र की भावना का बिल संसद में पास करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री सुबोध मोहिते : मैं आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं। नहीं तो आप ऐसे कितने भी कानून पास कर लीजिए, कितनी भी सजाओं का प्रावधान कर दीजिए, मुझे लगता है कि जब तक राट्रीय भावना के लिए अवेयरनैस जागृत नहीं होगी, तब तक इस बिल का महत्व नहीं है।

सभापति महोदय : आपकी कोई बात अब प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : सभापति महोदय, उन्होंने एक वाक्य कहा - मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मेरा कहना है कि वह उस वाक्य को पूरा करें - हिन्दी हैं हमवतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, राट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर सदन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा हो रही है। मैं इस विधयेक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। महोदय, यह झंडा केवल कपड़ा नहीं है, यह आत्म-सम्मान बढ़ाने का एक चिह्न है। इस चिह्न में एक अशोक चक्र है। यह अशोक चक्र इस देश का एक महत्वपूर्ण निशान है। इसमें सफेद रंग त्याग की भावना का प्रतीक है, केसरिया रंग वीरों की शक्ति का प्रतीक है और हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है।

सभापति महोदय, मोहिते साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इस जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बनाने के लिए समाज के हर वर्ग ने चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी हो, सभी लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। उन सबके योगदान से ही हमें स्वराज्य मिला है और हमारा झंडा पूरे राट्र में फैला हुआ है। जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, आत्म-समर्पण किया, उन्हें मैं नमन करता हूं और इस झंडे का अपमान न हो, यह सब पार्टियों के लिए गौरव की बात है। हमें स्वराज्य मिले हुए 55 वर्ा हो गये हैं, फिर भी राट्र गौरव का अपमान होता है, यह शर्म की बात है। यह ठीक नहीं है। इस संसोधन विधेयक के द्वारा ये सब चीजें ठीक हो जाएं, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि इस बहस में 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बड़ी सार्थक चर्चा की, बड़े अच्छे सुझाव भी दिये। लेकिन जो बिल हम आपके सामने लेकर आये हैं, उसका बहुत सीमित दायरा सजा को बढ़ाने का है और जो थोड़ा 1971 के बिल में विस्तार से नहीं कहा गया था कि डिसरिस्पैक्ट और कौन-कौन से होंगे, उसके बारे में यह बिल लाया गया है। लेकिन फिर भी कई शंकाएं उभर कर आई हैं, कई भ्रम पैदा हुए हैं, जिन्हें मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात इसमें कही गई है कि जब तक इसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा, उस वक्त तक इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफेन्स बना देगा। जैसे रघुवंश बाबू ने कहा, असली बात यही है कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 बना है, इसकी पब्लिसिटी पूरी तरह से इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया से की गई है। इसकी पब्लिसिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन को लिखकर कहा गया है कि वह फ्लैग कोड को स्कूल के सिलबाई में भी शामिल करे।

इसकी पब्लिसिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वह रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी इस फ्लैग कोड को ट्रांसलेट करके सब स्कूलों में इसकी पब्लिसिटी करें। इसका प्रयास किया गया है लेकिन पब्लिसिटी जितनी मर्जी हम करें, जब तक आहिस्ता-आहिस्ता सब लोगों को फ्लैग कोड की जानकारी न हो, जैसे आज भी एक दो सांसद महोदय ने यह बात कही कि हम सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही झंडा लहरा सकते हैं। फ्लैग कोड के हिसाब से आप सारे साल, सब दिन अपने मकान, दुकान पर झंडा लहरा सकते हैं, यह फैसला हो चुका था। चूंकि कोर्ट से फैसला आया था और उसके बाद फ्लैग कोड में अमेन्डमेंट हो गया था। इस तरह से यह जानकारी तो आहिस्ता आहिस्ता मिलती है।

एक बात यह भी आई कि अगर कहीं पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के नोटिस में फ्लैग का डिसरिस्पैक्ट हुआ हो और उसके ध्यान में आ जाए तो वह उसको कैसे डील करेगा? कानून की व्यवस्था है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, और यह चूंकि कॉगनिजेबल ऑफैन्स है, इसलिए जब तक पुलिस स्टेशन में ऑफैन्स दर्ज नहीं होगा, तब तक कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ आर्मी या किसी और की जानकारी में ऐसी बात आएगी तो उनको भी पुलिस स्टेशन

कनसर्न्ड में कॉगनिजेबल ऑफैन्स होने के नाते उसका पर्चा दर्ज कराना पड़ेगा तभी उस पर कार्रवाई हो सकेगी।

एक बात बार बार कही गई है इसकी पनिशमेंट के बारे में जो प्रोफेसर साहब ने कही। मैंने उनको बीच में बताने की कोशिश की थी कि इसमें सज़ा को कम नहीं गिया गया है बल्कि जो दूसरा ऑफैन्स हैं या बार-बार जो ऑफैन्स करते हैं, या बार-बार कानून की अवहेलना करते हैं, उनके लिए कम से कम सज़ा एक साल रखी है। कहीं तीन साल है। कोई अगर तीन साल की सज़ा देना चाहे तो तीन साल देगा। जुर्माना भी साथ लगाना चाहे तो वह भी करेगा लिकन बार बार ऑफैन्स करने वालों के लिए यह कानून बना दिया गया है कि उनको सिर्फ फाइन से या सिर्फ एक साल से कम सज़ा के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उनको कम से कम एक साल की सज़ा ज़रूर होगी। तीन साल की कैद की सज़ा भी कोर्ट सुना सकती है। ये सारी चीजें इसमें आई हैं।

जहां तक मान साहब ने ज़िक्र किया, मुझे थोड़ा खेद है। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि आप कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की कार्यवाही देखें या राधाकृणन जी के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें बताया गया है कि यह तीन कलर क्या सिगनिफाइ करते हैं। किसी समय किसी की सोच नहीं थी इस देश में जिसकी एक महान संस्कृति है जिसका 5000 साल का महान इतिहास है। उस महान संस्कृति और संस्कारों के इतिहास वाले देश में कभी यह सोच नहीं हुई, किसी पार्टी की, किसी विचारधारा के लोगों की, किसी राजनैतिक दल की यह सोच नहीं हुई कि ये तीन रंग किसी मज़हब या कम्यूनिटी के बेसिस पर रखे गये थे। इनका तो उल्लेख फ्लैग कोड में भी किया गया है और फ्लैग कोड का पहला ही पेज अगर पढ़ेंगे तो मैं उसको रिपीट करता हूँ।

The significance of the colours and the *Chakra* in the National Flag was amply described by Dr. S. Radhakrishnan in the Constituent Assembly which unanimously adopted the National Flag. Dr. Radhakrishnan explained:

> "The *bhagwa* or the saffron colour denotes renunciation or disinterestedness. Our leaders must be indifferent to material gains and dedicate themselves to their work. The while in the Centre is light, the path of truth to guide our conduct. The green shows our relation to soil, our relation to the plant life here on which all our life dependsâ€¦"

यह गलतफहमी कभी किसी के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तकरीबन सब बातें इसमें आई हैं। एक बात की चर्चा भी की गई है कि नेशनल फ्लैग का जो ज़िक्र किया गया, लेकिन अगर डिसरिस्पैक्ट किसी नेशनल एन्थैम के लिए है तो उसके लिए ज़िक्र नहीं किया गया है। यह बात जहां तक है, नैशनल ऐन्थम के बारे में मेन ऐक्ट में जो prevention of insults to national honour act 1971 है, उसी में क्लियर किया हुआ है कि जो किसी को गाने से इंटैन्शनली रोकेगा।

> "Whosoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbance to an assembly engaged in such singing."

सिर्फ इन दोनों चीजों को इस एक्ट में शुमार किया गया था। इसलिए इसमें फरदर एक्सप्लेनेशन करने की, इल्यूसिड करने की और विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इसका विस्तार नहीं किया गया। एक यह शुबहा या शक दिखाया गया था कि कहीं तो नैशनल एंथम गाया जाता है और कहीं नहीं गाया जाता, मैं बताना चाहता हूं कि सिंगिंग आफ नैशनल एंथम इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, यह आप्शनल है। इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन्स जारी नहीं की गई हैं कि कहां यह गाया जाएगा और कहां नहीं गाया जाएगा।

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): I asked, while administering the oath of office.

SHRI I.D. SWAMI: I am coming to that.

महोदय, इसके बारे में एक चर्चा और की गई है कि जो हमारा नैशनल एंथम है, उसके अलावा हमारा एक नैशनल साँग, राट्रीयगीत भी है, उसको भी उतना ही महत्व दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन नैशनल एंथम एक ही हो सकता है। उसे राट्रीय गीत के तौर पर गाया जाता है और उसे यहां संसद में भी गाया जाता है।

महोदय, मुझे संतोा और प्रसन्नता इस बात की है कि सदन के सभी दलों की तरफ से इस बात का समर्थन किया गया और यह चिन्ता व्यक्त की गई कि इस देश में किस तरह से अपने पूर्वजों, नैशनल सिम्बल, जो हमारे राट्रीय चिह्न हैं, उनका हम आदर करें, मान-सम्मान करें, इसकी चिन्ता की, सोचा और यहां हर दल की तरफ से यह सोच प्रकट की गई। यह अच्छी बात है। जिस देश के कर्णधार, रिप्रजेंटेटिव, जो देश के नुमाइंदे हैं, जो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां आते हैं, उनकी चिन्ता वही है, जो देश के लोगों की चिन्ता है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके बारे में जो भी सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनके मुताबिक आयंदा जो भी अमेंडमेंट लानी होगी, जो भी तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी, उसको लाने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे।

SHRI P.H. PANDIAN : He has not answered my point. The Government functions at Rashtrapati Bhavan start and end with the singing of the National Anthem, like the swearing-in ceremonies of the Council of Ministers, etc. Same is the case with regard to Raj Bhavans.

I would like to know is there any provision or is there no provision in the Supreme Court or High Courts of our country that their functions will start and end with the singing of the National Anthem while the Chief Justice administers an oath of office to the Justices. Even in the Supreme Court, while the Chief Justice administers an oath of office, the functions do not start and end with the singing of the National Anthem. I want a clarification on this.

SHRI I.D. SWAMI: There are no binding instructions to anybody in this regard.

SHRI P.H. PANDIAN : In that way, while in the functions of all the constitutional functionaries like the President, the Vice-President, the Governors, the Ministers and Chief Ministers, the National Anthem is sung, why not instructions be issued from the Law Ministry so that it can be sung in the functions of our courts?

SHRI I.D. SWAMI: This is one of your suggestions. So far as I know, for the present, there are no instructions. We will certainly look into it and your suggestion would also be considered...(*Interruptions*) For the present, there are no instructions.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, at the top of the buildings of the Supreme Court and the High Courts, National Flag is there. Then what is the difficulty to start such functions with the singing of the National Anthem in our courts?

SHRI I.D. SWAMI: There can be no difficulty. What I am saying is that there have been no instructions from the Government issued for this purpose. That is why they are not doing it. If the instructions go from the Central Government, they would be bound to do it. That is what I am trying to explain. There are no instructions so far.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I put it this way. Parliament commences any solemn function with National Anthem. The Executive does it. Why should you exclude the Judiciary? Please give a direction or amend the Act. ...(*Interruptions*)

SHRI I.D. SWAMI: We will consider your suggestion. So far as national flag is concerned, it is a different thing. ...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIAN : What about National Anthem? ...(*Interruptions*)

SHRI I.D. SWAMI: National flag in the building does not mean that National Anthem is also a must. There are no instructions for the present. That is what I am saying. ...(*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR : Normally, judicial officers are not respecting the National Anthem. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Adhi Sankar, please take your seat.

Now, we shall take up the motion for consideration of the Bill.

The question is:

> "That the Bill to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2

MR. CHAIRMAN: Shri Rajo Singh − Not present.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

MR. CHAIRMAN: Shri Rajo Singh − Not present.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, I request the hon. Minister to move that the Bill be passed.

SHRI I.D. SWAMI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.